न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 157/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/343**
दायर दिनांक :– 04.10.2024 **निर्णय दिनांक :– 20.01.2025**

1. अब्दुल खां पुत्र मवलू खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)
प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री सिकन्दर खां मंगलिया अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आश्य से पेश किया कि वादी की खातेदारी अधिकरों की काश्त भूमि ग्राम देदासरी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 103 रकबा 17.3529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 107 रकबा 8.9678 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110 रकबा 12.6262 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 3.9740 हैक्टेयर एवं ग्राम निजामदीन की बस्ती के खसरा नम्बर 107 रकबा 8.9678 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता मवलू खां के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जमाबंदी सम्वत 2076–2079 संलग्न वाद पेश है। वादी के पिता मवलू खां फौत हुवे तो मुतवफी मवलू खां के फौतेदगी नामान्तरकरण भीरा जाकर स्वीकृत हुआ लेकिन पटवारी हल्का द्वारा वादी का नाम अपनी मनमर्जी से अब्दुल करीम पुत्र मोलू खां दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम अब्दुल खां पुत्र मवलू खां है तथा इसी नाम से ही वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि बने हुवे है तथा वादी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी का नाम अब्दुल करीम पुत्र मोलू खां दर्ज होने से वादी को के.सी.सी ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि संबंधित कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना पड़ रहा है। वादी ने दिनांक 30.08.2024 को अपना नाम सही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी ने वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिये वादी ग्राम देदासरी व निजामदीन की बस्ती के उपरोक्त वर्णित खसरान् में दर्ज अपने गलत नाम अब्दुल करीम पुत्र मोलू खां के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम अब्दुल खां पुत्र मवलू खां के नाम खातेदारी काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया

20/01/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि वादी के पिता मोलू खां के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी भूमि विरासत नामान्तरकरण के जरिये वादी को प्राप्त हुई जिसमें वादी का नाम अब्दुल करीम पुत्र मोलू खां दर्ज है जबकि वादी के पहचान के दस्तावेज में नाम अब्दुल खां पुत्र मवलू खां दर्ज है। वादी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर वादी का नाम गुणावगुण पर सही किया जाना है तो कोई एजराज नहीं है। जिससे राजहित प्रभावित नहीं होता है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। वादी ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया व इनके बयान पी.डब्लू–1, वादी के भाई गफूर खां के बयान पी. डब्लू–2 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम देदासरी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 103 रकबा 17.3529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 107 रकबा 8.9678 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110 रकबा 12.6262 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 3.9740 हैक्टेयर एवं ग्राम निजामदीन की बस्ती के खसरा नम्बर 107 रकबा 8.9678 हैक्टेयर स्थित है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अब्दुल करीम पुत्र मोलू खां दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा परिचय पत्र, आधार कार्ड, जन आधार, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत देदासरी द्वारा जारी प्रामण–पत्र इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम विकास कुमार पुत्र खेताराम है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम देदासरी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 103 रकबा 17.3529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 107 रकबा 8.9678 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110 रकबा 12.6262 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 3.9740 हैक्टेयर एवं ग्राम निजामदीन की बस्ती के खसरा नम्बर 293 रकबा 10.4813 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम अब्दुल करीम पुत्र मोलू खां के स्थान पर अब्दुल खां पुत्र मवलू खां के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिकी पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/01/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. अब्दुल खां पुत्र मवलू खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 157/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर सिकन्दर खां मंगलिया मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम देदासरी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 103 रकबा 17.3529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 107 रकबा 8.9678 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110 रकबा 12.6262 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 3.9740 हैक्टेयर एवं ग्राम निजामदीन की बस्ती के खसरा नम्बर 293 रकबा 10.4813 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम अब्दुल करीम पुत्र मोलू खां के स्थान पर अब्दुल खां पुत्र मवलू खां के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक	बाबत् फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.01.2025 को जारी की गई।

(मोहर: सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.))

20/01/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

(मोहर: सहायक कलक्टर बाप (फलोदी))

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।